न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/164/19

बउनवान

1. रमेश पुत्र खिल्लो जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर।

---- सायल

बनाम

1. सुरेश पुत्र खिल्लो जाति जाट निवासी कठूमर।
2. मुकेश पुत्र खिल्लो जाति जाट निवासी कठूमर ।
3. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर।

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री धनश्याम शर्मा – अधिवक्ता सायल

श्री रामजीलाल शर्माः– अधिवक्ता गैंरसायल सं0 1–2

आदेश

दिनांक 21.10.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 435 रकवा 0.89 हे. 460 रकवा 0.77 हे. 714 रकवा 0.42 हे. 717 रकवा 0.24 हे. 916 रकवा 0.58 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर सायल एंव गैरसायल संख्या 1–2 शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी पर काविज रहकर गैरसायल सं0 1–2 के साथ काश्त कर रहा है। विवादित आराजी पर शामलाती काश्त को लेकर सायल एंव गेरसायलान के मध्य झगडा हो जाता है इस वजह से सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

हिस्सा को संयुक्त

Scanned by CamScanner

कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने इन्कार कर दिया। गैरसायल संख्या 1–2 जबर्दस्त व्यक्ति है जिन्होंने विवादित आराजी के कानूनी तकासमा न कराने के साथ साथ सायल को खुलें आम धमकी दी है कि हम तुझे विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही गैरसायल संख्या 2 से मिलकर रहन वय हिवा आदि द्वारा दीगर व्यक्ति को मुन्तकिल कर देगें। खेतों में गन्दा पानी भरकर खेत के उपजाउपन को नष्ट कर देगें तथा मौका की स्थिति को तब्दील कर देगें। जवकि गेरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल संख्या 1–2 ने हाजिर अदालत होकर जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी में सायल एंव गैरसायल संख्या 1–2 का मुताविक रेकार्ड 1/3–1/3 हिस्सा है। लेकिन उक्त आराजी से सायल का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी पर गैरसायल संख्या 1–2 का ही कब्जा काश्त है। सायल का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा। सायल ने विवादित आराजी पर कभी काश्त नहीं की। प्रार्थना पत्र की आड में सायल विवादित आराजी को हडपना चाहता है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। जवाव में विशेष कथन अंकित कर कथन किया है कि विवादित आराजी वावत हम गैरसायलान का प्लाटिंग का साइड प्लान तैयार हो गया है जिस साइड प्लान के मुताविक विवादित आराजी में प्लाटिंग किया जाना है। सायल द्वारा हम गैरसायलान की प्लाटिंग प्रकिया को रोकने के लिये तथा नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो खारिज किया जावे।

Scanned by CamScanner

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम कठूमर की सत्य प्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी हमारी पैत्रिक विरासत से प्राप्त है। जिसमें सायल एंव गैरसायल संख्या 1–2 का 1/3–1/3 हिस्सा है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमा नहीं हुआ है विवादित आराजी अवट है। गैरसायलान सायल के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व विना तकासमा गैरसायल संख्या 3 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। गैरसायलान को अवट आराजी का कानूनी तकासमा होने तक वेचान करने व शामलाती कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को काफी नुकशान व क्षति होगी। अधिवक्ता सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फेसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है। अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी से सायल का किसी तरह का बास्ता नहीं है और ना सायल ने उक्त आराजी पर कभी काश्त की ना जोता बोया। सायल ने अपनी आराजी में प्लाटिंग कर दी है जव गैरसायलान विवादित आराजी पर प्लाटिंग कर रहे है तो सायल स्टे से रूकवाना चाहता है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रार्थना पत्र मेण्टनेविल नहीं है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की सत्य प्रतिलिपी पेश की है जिसमें विवादित आराजी सायल का 1/3 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व गैरसायल संख्या 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। गैरसायलान का कथन कि विवादित आराजी पर सायल का कब्जा काश्त नहीं है और ना सायल ने कभी विवादित आराजी को जोता बोया। इसके समर्थन में गैरसायलान ने कोई साक्ष्य सवूत पेश नहीं किये है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सायल एंव गैरसायलान की वहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी पर सायल एंव गैरसायलान का शामलात में कब्जा होने का अनुमान किया जाता है। गैरसायलान का अवट आराजी में प्लाटिंग कर विक्रय करना गैरकानूनी प्रतीत होता है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को ता फैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 435 रकवा 0.89 हे. 460 रकवा 0.77 हे. 714 रकवा 0.42 हे. 717 रकवा 0.24 हे. 916 रकवा 0.58 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

21.10.19

अनिल कुमार सिंघल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21.10.2019 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार सिंघल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

21.10.19

Scanned by CamScanner